बनमाली दास

बनाम

राजेन्द्र चन्द्र मारदाराज हरिचंदन और अन्य

1 अगस्त, 1975

[वाई. वी. चंद्रचूड, पी. एन. भगवती और आर. एस. सरकारिया, जे. जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951-धारा ६४ और 169-चुनाव संचालन नियम, 1961-नियम ५६ (७) - ब्योरा कब आदेश दिया जाना है - साक्ष्य अधिनियम - धारा ७४ और ७७-सार्वजनिक दस्तावेजों का प्रमाण।

नीलगिरी निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधान सभा के मध्याविध चुनाव में छह उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। अपीलार्थी को प्रतिवादी सं 1 पर 49 मतों के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका दायर की और प्रार्थना की कि अपीलकर्ता की जगह उसे ही सफल उम्मीदवार के रूप में घोषित किया जाए। 'अपीलकर्ता के चुनाव को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मुख्यतः इस आधार पर चुनौती दी गई कि एक त्रुटि के कारण- रिटर्निंग अधिकारी ने टेबल नंबर 13 पर दूसरे राउंड की गिनती के नतीजे प्रपत्र संख्या 20 में प्रविष्ट नहीं किए, जैसा कि चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 55(7) द्वारा निर्धारित है। आरोप था कि टेबल नंबर 14 पर दूसरे राउंड की गिनती के नतीजे हुई फॉर्म नंबर 20 में गलती से दो बार दर्ज किए गए, एक बार टेबल नंबर 14 पर दूसरे राउंड के सामने और एक बार टेबल नंबर 13 पर दूसरे राउंड के सामने। याचिका पर सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने पूछा की कि क्या पक्षकार सभी मतपत्रों की दोबारा गिनती कराने पर सहमत हैं। अपीलकर्ता और प्रतिवादियों क्रमांक 1 और 2 की ओर से उपस्थित

वकील ने विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुझाए गए विकल्प पर सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 तक मुकदमे में उपस्थित नहीं हुए। पुनर्गणना के बाद, उप रजिस्ट्रार ने विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे अदालत के रिकार्ड का हिस्सा बनाया गया।

अधिनियम की धारा 64 यह प्रावधान करती है प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान कराया जाता है वहां वोटों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा या इसकी निगरानी में की जाएगी, और प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले, उसके चुनाव एजेंट, और मतगणना एजेंट के पास मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा। अधिनियम की धारा 169 केंद्र सरकार को चुनाव आयोग से परामर्श के बाद अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है। चुनाव आचरण नियम 1961 के नियम 56(7) में प्रावधान है कि निर्वाचन क्षेत्र उपयोग की गई सभी मतपेटियों में मौजूद सभी मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी प्रपत्र संख्या 20 में परिणाम पत्रक में प्रविष्टियाँ करेंगे और विवरण का ब्योरा देंगे। चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों के उपयोग के लिए एक हैंड-बुक संकलित की ताकि वोटों की गिनती में गड़बड़ी से बचा जा सके। पैरा 14-बी में हस्तप्स्तिका के अध्याय-आठ में निर्देश दिया गया है कि मतगणना हेत् मतपत्र वितरण के प्रभारी अधिकारी को डूमों से पर्याप्त संख्या में बंडल निकालने चाहिए ताकि 1000 मतपत्र बनाये जा सकें और उन्हें प्रत्येक राउंड में गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर वितरित किया जा सके। इस तरह के प्रत्येक 1000 मतपत्रों के बंडल की गिनती खत्म होने के बाद, विधिवत भरे हुए और सहायक द्वारा हस्ताक्षरित चेक मेमो बंडल के साथ मतगणना टेबल के पर्यवेक्षक को वापस दे दिया जाता है। चेक मेमो का प्रपत्र अनुलग्नक XII-A और एक नमूना प्रपत्र अनुलग्नक XII-बी की हैंडबुक में है। 13 वीं टेबल का मूल मेमो जिसमें दूसरे दौर के परिणाम प्रविष्ट किए गए हैं को विचारण के समय प्रस्तुत नहीं किया गया था लेकिन उसकी प्रमाणित प्रति को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। अपीलकर्ता ने इसकी स्वीकार्यता पर आपति जताई।

अपील को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारितः चेक ज्ञापन की प्रमाणित प्रति साक्ष्य में स्वीकार्य है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत, लोक अधिकारियों के कृत्यों या कृत्यों के रिकॉर्ड बनाने वाले दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज हैं। धारा 77 द्वारा, दस्तावेजों की सामग्री के प्रमाण में ऐसी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिसकी उन्होंने प्रतियाँ होने का दावा किया। चेक मेमो एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकारी अधिकारी के कृत्यों का रेकॉर्ड है, इसलिए कलेक्टर द्वारा दी गई उसकी प्रमाणित प्रति जिसकी अभिरक्षा में दस्तावेज रखा जाता है, मूल दस्तावेज की सामग्री के प्रमाण के रूप में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है [216 ए-डी]

दूसरे राउंड की गिनती में टेबल 13 पर विभिन्न अभ्यर्थियों को मिले मतों का प्रपत्र संख्या 20 में गलती हो उल्लेख किया गया। जबिक अपीलकर्ता को टेबल नंबर 13 पर दूसरे राउंड की गिनती में मात्र 21 वोट मिले थे, अंतिम परिणाम की शीट प्रपत्र संख्या 20 से पता चला कि उसने 144 मत हासिल किए थे वोट और जबिक प्रतिवादी नंबर 1 को 86 वोट मिले थे, यह दिखाया गया कि उन्हें 109 वोट मिले। त्रुटि दोनों पक्षों के लिए अनुकूल थी। लेकिन जबिक त्रुटि अपीलकर्ता के पक्ष में 123 वोट की थी, जो प्रतिवादी नंबर 1 के पक्ष में 23 मत तक की ही थी। चूँिक अपीलकर्ता को केवल 49 वोटों के अंतर से चुनाव में विजयी घोषित कर दिया गया था; यह प्रतिवादी संख्या 1 है न की अपीलकर्ता जिसे सबसे अधिक संख्या में मत मिले। इससे यह मालूम होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को ने अधिकतम संख्या में वैध मतों को प्राप्त किया है, और इसलिए सफल अभ्यर्थी घोषित किए जाने का हकदार है। [216 जी-एच; 217 सी-डी]

उच्च न्यायालय ने न्यायालय को यह निर्देश देने में गलती की सभी मतपत्रों की दोबारा गिनती होगी। चुनाव याचिका में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर पुनर्गणना के लिए

कोई अनुरोध नहीं था। पुनर्गणना की सहमित केवल प्रतिवादियों संख्या 1 और 2 द्वारा दी गई थी। अन्य प्रतिवादियों को सूचना नहीं थी की पुनर्गणना का कोई सुझाव दिया जाएगा या स्वीकार किया जाएगा, जब इसके बारे में पार्टियों की दलीलों में कोई प्रार्थना नहीं थी। उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिका के डायरे का अनावश्यक रूप से विस्तार किया और खुद को ऐसे बिंदुओं पर निर्णय लेने की अप्रत्याशित किठनाई में उतार दिया गया जिसकी न तो कोई दलील थी और न ही कोई मुद्दा। सच है चुनाव तकनीकी का मामला नहीं है, बल्कि एक मामला भी है मजबूत और संवेदनशील अंतःकरण को कभी भी अंतहीन मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिए जिसमें पार्टियां संभाव्य से अधिक विचारणीय नहीं वाले बिन्दुओं की आकिस्मिक खोजों पर आधारित नई चुनौतियों की तलाश करेंगी।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 576/1975.

ई. पी. सं. 3/1974 में उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 6 मार्च, 1975 से।

अपीलार्थी की ओर से सोमनाथ चटर्जी और रतिन दास।

वीन् भगत, प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय चंद्रचूड, जे द्वारा दिया गया था।

'छह उम्मीदवारों ने नीलगिरि निर्वाचन क्षेत्र से उड़ीसा विधान सभा के लिए मध्याविध चुनाव लड़ा। 26 फ़रवरी 1974 को मतदान हुआ और 1 मार्च को 5 का चुनाव परिणाम की घोषणा हो गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अपीलकर्ता को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया। मार्च 1 को घोषित परिणामों के अनुसार, अपीलकर्ता को 14346 वोट मिले, जबिक प्रतिवादी 1,

जिसने भारती लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था, को 14297 वोट मिले। अन्य उम्मीद्वार, प्रतिवादियों 2 से 5, ने 12, 312 और 5961 के बीच वोट हासिल किए। प्रतिवादी 6, रिटर्निंग अधिकारी है।

13 अप्रैल, 1974 को प्रतिवादी 1 ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 81 के तहत एक चुनाव याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ता के चुनाव को चुनौती दी गई और प्रार्थना की गई कि इसके बजाय, उसे खुद को सफल घोषित किया जाना चाहिए । अपीलकर्ता के चुनाव को प्रतिवादी 1 द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि एक त्रुटि के कारण रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 56(7) के अनुसार फॉर्म नंबर 20 में टेबल नंबर 13 पर दूसरे दौर की गिनती के परिणामों को दर्ज नहीं किया था। यह आरोप लगाया गया था कि रिटर्निंग अधिकारी ने टेबल नंबर 13 पर दूसरे दौर की गिनती के नतीजों को फॉर्म नंबर 2 में शामिल करने के बजाय गलत तरीके से टेबल नंबर 14 पर दूसरे दौर की गिनती के नतीजों को टेबल संख्या 13 से संबंधित गणना के लिए बने कॉलम में शामिल कर दिया। दूसरे शब्दों में, आरोप यह था कि टेबल संख्या 14 पर दूसरे दौर की गिनती के परिणाम गलती से फॉर्म संख्या 20 में दो बार दर्ज किए गए थे, एक बार टेबल नंबर 14 के दूसरे राउंड के सामने, और एक बार टेबल नंबर 13 के दूसरे राउंड के सामने।

अपीलकर्ता ने इस आरोप से इनकार करते हुए कहा कि उसने सबसे बड़ी संख्या में वोट हासिल किए थे और उसके और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच 49 वोटों का स्पष्ट अंतर था।

इन दलीलों पर, उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक के विद्वान न्यायाधीश, जिन्होंने चुनाव याचिका की सुनवाई की, ने 8 मुद्दे तय किए लेकिन साक्ष्य दर्ज होने के बाद उन्हें उन्हें दोबारा बनाया गया। मुद्दे क्रमांक 1 से 5 तक चुनाव याचिका की संधारणीयता से संबंधित हैं और इन मुद्दों पर विद्वान न्यायाधीश ने प्रतिवादी 1 के पक्ष में पाया। उन निष्कर्षों को हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए हमें उस बुनियादी आधार पर आगे बढ़ना चाहिए जो चुनाव याचिका जैसी प्रस्तुत की गई है, किसी अवैधता से ग्रिसत नहीं है।

मुद्दे संख्या 6 से 8 वे हैं जिन पर ही हम इस अपील में विचार करेंगे और ये मुद्दे फॉर्म संख्या 20 में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा की गई प्रविष्टियों के संबंध में विवादों से उत्पन्न होते हैं। नौवां मुद्दा परिणामी है।

प्रतिवादी 1 और एक खगेंद्रनाथ नाइक जो टेबल नंबर 13 पर उनके गिनती पर्यवेक्षक थे का परीक्षण हुआ । अपीलकर्ता की ओर से, उनके एक चुनाव एजेंट और एक गिनती एजेंट से गवाह के रूप में पूछताछ की गई। किसी भी पक्ष ने रिटर्निंग अधिकारी से पूछताछ नहीं की और न ही रिटर्निंग अधिकारी ने, जो याचिका में प्रतिवादी 6 था, इस सवाल पर साक्ष्य देने की पेशकश की कि क्या टेबल संख्या 14 की दूसरे दौर की गिनती के परिणाम टेबल संख्या 13 से संबंधित कॉलम के सामने गलती से दर्ज किए गए थे।

याचिका की सुनवाई के दौरान, विद्वान न्यायाधीश ने पक्षों से पूछताछ की कि क्या वे सभी मतपत्रों की दोबारा गिनती कराने के लिए सहमत हैं। अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं 1 और 2 की ओर से उपस्थित वकील विद्वान न्यायाधीश द्वारा सुझाए गए उपाय से सहमत हुए। प्रतिवादी 3 से 5 जिन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे, वे मुकदमे में उपस्थित नहीं हुए और न ही रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित हुए। 3 फरवरी 1975 को विद्वान न्यायाधीश ने एक आदेश पारित कर निर्देश दिया कि "संपूर्ण मतपत्रों की दोबारा गिनती की जानी चाहिए"।

तदनुसार मतपत्र मंगवाये गये। इक्कीस सीलबंद ट्रंक अदालत को प्राप्त हुए और उच्च न्यायालय के उप रजिस्ट्रार द्वारा प्रतिद्वंद्वी पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में पुनर्गणना की गई। पुनर्मतगणना के बाद, उप रजिस्ट्रार ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 21 फरवरी, 1975 को विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश के तहत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी 1 के पक्ष में विद्वान न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए मुद्दे 1 से 5 के निष्कर्ष को हमारे सामने चुनौती नहीं दी गई है, निर्णय के लिए एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या प्रतिवादी 1 ने यह साबित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है कि 13 वीं टेबल पर दूसरे दौर की गिनती का परिणाम बिल्कुल भी फॉर्म नंबर 20 में दर्ज नहीं किया गया है और क्या टेबल नंबर 14 पर दूसरे राउंड की गिनती का परिणाम टेबल नंबर 13 के दूसरे राउंड की गिनती के रूप में गलती से दर्ज किया गया था।

अधिनियम की धारा 64 में प्रावधान है कि प्रत्येक चुनाव में जहां मतदान होता है, वोटों की गिनती रिटर्निंग अधिकारी की देखरेख और निर्देशन में या उसके तहत की जाएगी और प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, उसके चुनाव एजेंट और उसके गिनती एजेंटों को यह अधिकार होगा कि वे गिनती के समय मौजूद रहें। अधिनियम की धारा 169 जो चुनाव आयोग के साथ परामर्श के बाद केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है, उपधारा (2)(जी) में प्रावधान करता है कि ऐसे नियम वोटों की जांच और गिनती के लिए प्रावधान कर सकते हैं। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 56(7) में प्रावधान है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग की गई सभी मतपेटियों में मौजूद सभी मतपत्रों की गिनती पूरी होने के बाद, रिटर्निंग अधिकारी फॉर्म 20 में परिणाम पत्रक में प्रविष्टियां करेगा और विवरण की

घोषणा करेगा। फॉर्म 20 जिसे 'फाइनल रिजल्ट शीट' कहा जाता है में, रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्येक राउंड में विभिन्न उम्मीदवारों के लिए दर्ज किए गए वैध वोटों की कुल संख्या के साथ-साथ अस्वीकृत मतपत्रों की कुल संख्या दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

वोटों की गिनती में त्रुटियों से बचने के लिए, चुनाव आयोग ने रिटर्निंग अधिकारियों के उपयोग के लिए एक हैंडब्क संकलित की है जिसमें चुनाव के विभिन्न चरणों में उनके मार्गदर्शन के लिए निर्देश शामिल हैं। चुनाव के नतीजों को फॉर्म नंबर 2 में दर्ज करने से पहले यह जरूरी है कि हर राउंड की गिनती के नतीजे का रिकॉर्ड रखा जाए। हैंडबुक के अध्याय VIII में पैराग्राफ 14-बी में निर्देश दिया गया है कि गिनती के लिए मतपत्रों के वितरण के प्रभारी अधिकारी को इम से पर्याप्त संख्या में बंडल निकालना चाहिए ताकि 1000 मतपत्रों को बनाया जा सके और उन्हें प्रत्येक राउंड की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर वितरित किया जा सके। ऐसे प्रत्येक हजार मतपत्रों की गिनती समाप्त होने के बाद, बंडलों को विधिवत भरकर और सहायक द्वारा हस्ताक्षरित "चेक मेमो" के साथ मतगणना टेबल के पर्यवेक्षक को वापस दे दिया जाता है। चेक मेमो विशेष दौर में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों के साथ-साथ अस्वीकृत वोटों की क्ल संख्या को दर्शाता है। जब इस प्रकार सभी मतगणना टेबलों पर बंडलों का वितरण और गिनती पूरी हो जाती है, तो गिनती का एक दौर समाप्त माना जाता है। इसके बाद अगले दौर की गिनती शुरू होगी। प्रत्येक दौर की गिनती के लिए समान प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है ताकि प्रत्येक टेबल पर प्रत्येक दौर की गिनती का परिणाम प्रत्येक दौर से संबंधित चेक मेमो में प्रतिबिंबित हो। जितने राउंड की काउंटिंग, उतने चेक-मेमो। चेक मेमो का फॉर्म अनुलग्नक XII-A में है और विधिवत भरा हुआ नमूना फॉर्म हैंड-बुक के अनुलग्नक XII-B में है। ये प्रपत्र अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित नहीं हैं, लेकिन इससे संबंधित दिशा-निर्देश का चुनाव आयोग, जिसमें चुनावों का समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण निहित है, के निर्देशों पर अनुसरण किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों के उपयोग के लिए हैंड-बुक में शामिल निर्देशों और प्रपत्रों का उद्देश्य निष्पक्ष और त्रुटि मुक्त चुनाव कराने की सुविधा प्रदान करना है जिस पर किसी भी तरह की आपत्ति नहीं की जा सकती है।

13 वीं टेबल का मूल चेक मेमो जिसमें दूसरे दौर के परिणाम को प्रविष्ट किया गया था, परीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन उसकी प्रमाणित प्रति साक्ष्य में प्रदर्श 1 के रूप में, उसकी स्वीकार्यता के संबंध में अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति के अधीन स्वीकार की गई थी। उस आपत्ति में कोई दम नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 में प्रावधान है कि सार्वजनिक अधिकारियों के कृत्यों या सरकारी अधिकारियों के कृत्यों के रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज़ हैं। धारा 76 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक अधिकारी जिसके पास सार्वजनिक दस्तावेज है, जिसका निरीक्षण करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को है, उस व्यक्ति को इसकी एक प्रति प्रमाण पत्र के साथ देगा कि यह दस्तावेज़ की सच्ची प्रति है। धारा 77 द्वारा, ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन दस्तावेजों की सामग्री के प्रमाण में प्रस्तुत की जा सकती हैं जिनकी वे प्रतियां होने का दावा करती हैं। चेक मेमो जिसे मतगणना टेबल के प्रभारी अधिकारी द्वारा बनाए रखा जाना आवश्यक है, एक सार्वजनिक अधिकारी के कृत्यों का रिकॉर्ड बनाने वाला एक दस्तावेज है और इसलिए, कलेक्टर द्वारा दी गई इसकी प्रमाणित प्रति, जिसकी हिरासत में दस्तावेज़ रखा गया है, मूल दस्तावेज़ की सामग्री के प्रमाण के रूप में साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है।

टेबल नंबर 13 पर दूसरे दौर की गिनती से संबंधित चेक मेमो की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श 1) से पता चलता है कि दूसरे दौर की गिनती के लिए 25 मतपत्र (यानी 1000 मतपत्र) वाले 40 बंडल वितरित किए गए थे। प्रदर्श 1 के भाग 1 में ये विवरण शामिल हैं। प्रदर्श 1 का भाग ।। दूसरे दौर की गिनती का परिणाम दिखाता है। उसमें मौजूद प्रविष्टियों के अनुसार, अपीलकर्ता को 21 वैध वोट मिले, प्रतिवादी 1 को 86 वोट मिले, जबिक प्रतिवादियों 2 से 5 को क्रमशः 304, 7, 15 और 524 वोट मिले। बयालीस मतपत्र खारिज कर दिए गए, इस प्रकार क्ल ९९९ मतपत्र हो गए। जाहिर है, वितरण के चरण में या गिनती के चरण में एक मतपत्र के संबंध में कोई त्रुटि हुई थी। प्रासंगिक बात यह नहीं है कि एक मतपत्र की गिनती में कोई त्रुटि हुई थी, बल्कि यह है कि गिनती का परिणाम जो चेक मेमो में दर्ज किया गया है, उसे फॉर्म नंबर 20 में उपयुक्त कॉलम में शामिल किया जाना चाहिए था। आश्वर्यजनक रूप से फॉर्म नंबर 20 में टेबल संख्या 13 पर दूसरे दौर की गिनती में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वोटों को इस प्रकार दिखाया गया: अपीलकर्ता को 21 के बजाय 144 वोट मिले; प्रतिवादी 1-86 के बजाय 109 वोट; प्रतिवादी संख्या 2 को 304 के स्थान पर 360 वोट; प्रतिवादी संख्या 3 को 7 के बजाय 19 वोट; प्रतिवादी संख्या 4 को 15 के बजाय 74 वोट, और प्रतिवादी संख्या 5 को 524 के बजाय 225 वोट मिले। संक्षेप में, जबकि अपीलकर्ता को टेबल संख्या 13 की गिनती के दूसरे दौर में केवल 21 वोट ही मिले थे, अंतिम परिणाम शीट, फॉर्म नंबर 20 से पता चला कि उन्हें 144 वोट मिले थे; और जबकि प्रतिवादी नंबर 1 को 86 वोट मिले थे, उसे 109 वोट हासिल करते हुए दिखाया गया था। त्रुटि दोनों पक्षों के लिए अनुकूल थी, लेकिन जहां अपीलकर्ता के पक्ष में त्रृटि 123 वोटों की सीमा तक थी, वहीं प्रतिवादी 1 के पक्ष में त्रृटि केवल 23 वोटों की सीमा तक थी। चूँिक अपीलकर्ता को प्रतिवादी 1 पर केवल 49 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने की घोषणा की गई थी, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने नहीं बल्कि प्रतिवादी 1 ने सबसे अधिक संख्या में वोट प्राप्त किए थे।

टेबल नंबर 13 और 14 पर दूसरे दौर की गिनती से संबंधित फॉर्म नंबर 20 में प्रविष्टियों पर एक नजर डालने से उसमें प्रविष्टियां करने में हुई त्रुटि का पता चल जाएगा। टेबल संख्या 14 के संबंध में की गई प्रविष्टियां सटीक थीं, लेकिन ठीक वहीं आंकड़े कुछ त्रुटि के कारण टेबल संख्या 13 के दूसरे दौर में प्रविष्ट हो गए थे। ऐसा शायद ही कभी हो सकता है कि पांच चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार दो अलग-अलग टेबलों पर गिनती के एक ही दौर में बिल्कुल समान संख्या में वोट प्राप्त करें, जब एक हजार मतपत्रों को एक सामान्य ड्रम या पात्र से अनियमित रूप से उठाकर दो टेबलों पर वितरित किया जाता है। हालाँकि, ऐसी किसी भी संभावना के बारे में अटकलें लगाना अनावश्यक है क्योंकि यह निर्विवाद है कि टेबल नंबर 13 पर दूसरे दौर की गिनती से संबंधित चेक मेमो में प्रविष्टियाँ फॉर्म नंबर 20 के उपयुक्त कॉलम में स्थानांतरित नहीं की गई थीं।

इसिलए हम विद्वान न्यायाधीश के इस निष्कर्ष को सही ठहराते हैं कि 14 वीं टेबल के दूसरे दौर का परिणाम दो बार दर्ज किया गया था और फॉर्म नंबर 20 में प्रविष्टियाँ करते समय टेबल टेबल 13 पर गिनती के दूसरे दौर का सही परिणाम पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। । यह मानना होगा कि प्रतिवादी 1 ने अधिकतम संख्या में वैध वोट हासिल किए हैं और इसिलए वह सफल उम्मीदवार घोषित होने का हकदार है।

यह वास्तव में मामले का अंत होना चाहिए क्योंकि प्रतिवादी 1 ने अपीलकर्ता के चुनाव को जिस एकमात्र आधार पर चुनौती दी थी वह यह था कि फॉर्म नंबर 20 में संबंधित प्रविष्टियां सही तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करती थीं। लेकिन विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश कि सभी मतपत्रों की दोबारा गिनती की जाएगी, ने अपीलकर्ता को वोटों की गिनती और मतपत्रों को संरक्षित रखने के तरीके के बारे में संदेह उठाने का अवसर प्रदान किया है। हमारी राय में विद्वान न्यायाधीश ने निर्देश देने में गलती की, केवल इसलिए कि उनके इस सुझाव को कि सभी मतपत्रों की दोबारा गिनती करानी चाहिए को उनके सामने पेश होने वाले पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

चुनाव याचिका दायर करने वाले प्रतिवादी 1 ने इस तरह की पुनर्मतगणना की मांग नहीं की थी और याचिका पर अपीलकर्ता का बचाव यह था कि फॉर्म नंबर 20 में प्रविष्टियां सही तस्वीर दर्शाती हैं और उनमें कोई त्रुटि नहीं है। पुनर्गणना की सहमति केवल अपीलकर्ता और उत्तरदाताओं 1 और 2 द्वारा दी गई थी। अन्य उत्तरदाता, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव याचिका की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से इस बात की कोई सूचना नहीं थी कि पुनर्मतगणना का सुझाव दिया जाएगा या स्वीकार कर लिया जाएगा, जब इसके बारे में पक्षकारों की दलीलों में कोई प्रार्थना नहीं थी। विद्वान न्यायाधीश ने चुनाव याचिका के दायरे को अनावश्यक रूप से बढ़ा दिया और खुद को ऐसे बिंदुओं पर निर्णय लेने की अप्रत्याशित कठिनाई में उतार दिया गया जिनकी न तो कोई दलील थी और न ही कोई मुद्दा।

डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, विद्वान न्यायाधीश को "पुनर्गणना की शुद्धता के बारे में गंभीर संदेह" महसूस हुआ, लेकिन उन संदेहों को दूर करने के लिए उन्होंने सिर्फ यही किया उस वोटों के एक पैकेट की दोबारा गिनती कारवाई जिसके बारे में उन्हें लगा कि पुनर्गणना की गलती का आश्वासन के साथ पता लगाया जा सकता है। और इसलिए हमें एक ऐसे तर्क का सामना करना होगा जो बिना किसी दलील के, बिना किसी मुद्दे के उत्पन्न हुआ हो और पूरी तरह से वास्तविक या कथित त्रुटियों पर आधारित हो, जिसके बारे में कहा जाता है कि पुनर्गणना और पुनर्गणना के परिणामस्वरूप प्रकाश में आई। यहां तक कि चुनाव याचिकाएं भी किसी न किसी स्तर पर समाप्त होनी चाहिए और इस कारण से कि चुनाव एक लोकतांत्रिक उद्यम है, उन्हें लंबित रहने के दौरान मुद्दे जुटाने की अनुमित नहीं दी जा सकती। जैसा कि हम अपीलकर्ता के तर्क को सुन रहे हैं, हमें लगा कि हम पुनर्मतगणना के परिणाम को चुनौती देने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर किसी स्वतंत्र चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री सोमनाथ चटर्जी ने तर्क दिया कि पुनर्गणना

से जो तथ्य सामने आए हैं, वे चुनाव के तरीके पर काफी संदेह पैदा करते हैं और इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 को सफल उम्मीदवार घोषित करने के बजाय हमें यह आदेश देना चाहिए नये सिरे से चुनाव कराया जाये। विद्वान वकील का कहना है कि चुनाव कोई तकनीकी मामला नहीं है और अदालत को अपनी अंतरात्मा को संतुष्ट करना चाहिए कि उसके समक्ष का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष था।

हो सकता है कि न्याय न्यायाधीश की अंतरात्मा का मामला है, लेकिन एक मजबूत और संवेदनशील अंतःकरण को कभी भी अंतहीन मुकदमेबाजी नहीं करनी चाहिए जिसमें पार्टियां संभाव्य से अधिक विचारणीय नहीं वाले बिन्दुओं की आकस्मिक खोजों पर आधारित नई चुनौतियों की तलाश करेंगी। अपीलकर्ता अब जिन नई त्रुटियों पर भरोसा कर रहा है उनमें संभाव्यता का आभास है और इससे अधिक कुछ नहीं। इसलिए उन त्रुटियों पर आधारित नया तर्क विफल होना चाहिए।

जैसा कि प्रतिवादी नंबर 1 ने वास्तव में अधिकतम संख्या में वोट प्राप्त किए और जैसा एक त्रुटि की वेजह से यह दिखाया गया कि कि अपीलकर्ता ने अधिकतम वोट प्राप्त किए हैं, हमें अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द करने और प्रतिवादी । को सफल उम्मीदवार घोषित करने के उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखना चाहिए।

तदनुसार, अपील को प्रतिवादी के पक्ष में हर्जे-खर्चे के साथ खारिज कर दिया जाता है।

पीएचपी

अपील खारिज कर दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।